*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/ना०सु०–03–03/2015 24 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 17/7/18

विषय:– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभिन्न नगर निकायों में नागरिक सुविधा मद के अंतर्गत सम्राट अशोक भवन निर्माण हेतु कुल ₹1512.29800 लाख (पंद्रह करोड़ बारह लाख उनतीस हजार आठ सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल ₹756.14900 लाख (सात करोड़ छप्पन लाख चौदह हजार नौ सौ रु०) मात्र की सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेश:– **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के विभिन्न नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन निर्माण हेतु निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ– 4 के अनुरूप कुल ₹1512.29800 लाख (पंद्रह करोड़ बारह लाख उनतीस हजार आठ सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ– 5 के अनुरूप तत्काल ₹756.14900 लाख (सात करोड़ छप्पन लाख चौदह हजार नौ सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4–5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद्, डुमरांव	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	135.26000	67.63000	67.63000
2	नगर परिषद्, मोकामा	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	135.26000	67.63000	67.63000
3	नगर परिषद्, बगहा	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	139.33300	69.66650	69.66650
		योग (क)	**409.85300**	**204.92650**	**204.92650**
4	नगर पंचायत, मुरलीगंज	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	139.33300	69.66650	69.66650
5	नगर पंचायत, जनकपुर रोड	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	139.33300	69.66650	69.66650

G:\Kamlesh\Section - 2 (18-19)\GO 2018-19\GO_ Nagarik subidha.doc

6	नगर पंचायत, ढाका	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	139.33300	69.66650	69.66650
7	नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	139.33300	69.66650	69.66650
8	नगर पंचायत, शाहपुर	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	135.26000	67.63000	67.63000
9	नगर पंचायत, रफीगंज	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	135.26000	67.63000	67.63000
10	नगर पंचायत, इस्लामपुर	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	135.26000	67.63000	67.63000
11	नगर पंचायत, एकमा बाजार	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	139.33300	69.66650	69.66650
		योग (ख)	**1102.44500**	**551.22250**	**551.22250**
		योग (क+ख)	**1512.29800**	**756.14900**	**756.14900**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹756.14900 लाख (सात करोड़ छप्पन लाख चौदह हजार नौ सौ रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

2. उक्त स्वीकृत ₹756.14900 लाख (सात करोड़ छप्पन लाख चौदह हजार नौ सौ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् एवं संबंधित नगर पंचायत होगें**, जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 354, दिनांक– 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जाएगी। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

5. (क) स्वीकृत कुल राशि ₹756.14900 लाख (सात करोड़ छप्पन लाख चौदह हजार नौ सौ रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक– 01 से 03 के सम्मुख स्तम्भ– 05 में अंकित कुल राशि ₹204.92650 लाख (दो करोड़ चार लाख बानवे हजार छः सौ पचास रु०) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा

मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 192–नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष– 0105–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2217031920105,** विषय शीर्ष– 0105.31.05 सहायक अनुदान– परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ख) उक्त स्वीकृत राशि ₹756.14900 लाख (सात करोड़ छप्पन लाख चौदह हजार नौ सौ रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक– 04 से 11 के सम्मुख स्तम्भ– 05 में अंकित कुल राशि ₹551.22250 लाख (पाँच करोड़ एकावन लाख बाईस हजार दो सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 193–नगर पंचायतों–अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष– 0104–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें–सहायक अनुदान विपत्र कोड– **48-2217031930104,** विषय शीर्ष– 0104.31.05 सहायक अनुदान– परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

6. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वय का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

7. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:–

(i) योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा कराया जाएगा।

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) सम्राट अशोक भवन का निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये मॉडल प्राक्कलन के अनुरूप किया जायेगा। विभाग द्वारा उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के लिए अलग अलग मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी प्रति विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

(iv) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण –लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) **योजना का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।**

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/ना०सु०–03–03/2015 के पृष्ठ सं०–......93....../टि० पर दिनांक–22.6.18...... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–......97....../टि० पर दिनांक–......13.7.18 को प्राप्त है ।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् तथा संबंधित नगर पंचायत एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

17.07.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०सु०–03–03/2015 24 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 17/7/18

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् एवं संबंधित नगर पंचायत/मुख्य अभियंता, बुडा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.07.18

सरकार के विशेष सचिव।